

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट, 1987 (1987 का एक्ट नं० 39) की धारा 8—ए और 29—ए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण, चण्डीगढ़ एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है।

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

विनियम, 1998

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. (1) ये विनियम उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति विनियम 1998 कहे जाएंगे।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अथवा अपेक्षित न हो :—
 - (क) “एक्ट” से अभिप्राय है, विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट, 1987,
 - (ख) “लाभान्वित व्यक्ति” से अभिप्राय है कि वे व्यक्ति जिनको, कानूनी सहायता, कानूनी सलाह या कानूनी सेवाएं किसी भी रूप में दी जाती हैं।
 - (ग) “मुख्य न्यायमूर्ति” से अभिप्राय है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति,
 - (घ) “अध्यक्ष” से अभिप्राय है कि उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष,
 - (ङ) “समिति” से अभिप्राय है उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,
 - (च) “केन्द्रीय प्राधिकरण” से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन गठित, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण।
 - (छ) “उच्च न्यायालय” से अभिप्राय है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।

संक्षिप्त नाम
विस्तार और
प्रारम्भ

- (ज) "विधिक सेवा" के अन्तर्गत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण का अधिकरण के समक्ष किसी मामले या अन्य विधिक कार्यवाही के संचालन में कोई सेवा प्रदान करना और किसी विधिक विषय में सलाह देना भी है।
- (झ) "लोक अदालत" से अभिप्राय है कि उच्च न्यायालय के द्वारा एक्ट के अध्याय 6 के अधीन लोक अदालत का आयोजन करना,
- (ट) "सदस्य" से अभिप्राय है कि समिति का सदस्य,
- (ठ) "नियम" से अभिप्राय है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम,
- (ड) "सचिव" से अभिप्राय है कि उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव,
- (ढ) "धारा" से अभिप्राय है कि एक्ट की धारा,
- (ण) "राज्य प्राधिकरण" से अभिप्राय है कि धारा 6 के तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन।

अध्याय 2

- उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्य
3. (1) समिति के निम्न पदेन सदस्य होंगे
- (क) महाधिवक्ता, पंजाब,
 - (ख) महाधिवक्ता, हरियाणा,
 - (ग) बार कौंसिल पंजाब और हरियाणा राज्य का अध्यक्ष।
 - (घ) उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, चण्डीगढ़ का अध्यक्ष।
 - (ङ) गृह सचिव, चण्डीगढ़ प्रशासन।
- (2) मुख्य न्यायाधीश अन्य सदस्यों को जो पांच से अधिक न हों, उप-विनियम (3) में विधिक योग्यताएं तथा अनुभव धारण करने वाले व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है।
- (3) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में मनोनयन के लिए तब तक योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह

(क) कोई उत्कृष्ट समाज सेवक जो कमजोर वर्गों के लोगों के उत्थान में लगा हुआ हो, जिसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, महिलाएं, बच्चे, ग्रामीण और शहरी मजदूर शामिल हैं।

(ख) विधि या लोक प्रशासनिक के क्षेत्र में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, या

(ग) कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो विशेष रूप से विधिक सेवा स्कीमों के कार्यान्वयन में रुचि रखता हो।

कार्यालय के
सदस्यों की
अवधि और अन्य
शर्तें

4. (1) कार्यालय के सदस्यों का कार्यकाल विनियम 3 के उप-विनियम (2) के अधीन दो वर्ष की अवधि के लिए होगा और ये व्यक्ति पुनः नामांकन के लिए पात्र होंगे।

(2) ये मनोनीत सदस्य विनियम 3 में उप-विनियम (2) के तहत मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाये जा सकते हैं, यदि वह—

(क) बिना किसी प्रयाप्त कारण के समिति की निरन्तर तीन बैठकों में भाग न लेने पर,

(ख) दिवालिया घोषित हो चुका हो,

(ग) किसी अपराध में दण्डित किया हो, जो मुख्य न्यायाधीश के विचार में चरित्रहीनता में संलिप्त हो,

(घ) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप में असमर्थ हो,

(ङ) मुख्य न्यायमूर्ति के विचार में अपने पद का दुरुपयोग करने वाले सदस्य के रूप में निरन्तर बने रहना लोकहित में हानिकारक है।

परन्तु किसी भी सदस्य को उसे सुनवाई का मौका दिये बिना खण्ड

(क), (घ) या (ङ) के अधीन समिति से नहीं हटाया जायेगा।

(3) सदस्य अपने हाथों से लिखित रूप में समिति की सदस्यता से इस्तीफा अध्यक्ष को दे सकता है और उसका इस्तीफा उस तिथि से मान्य होगा जिस तिथि को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

(4) विनियम 3 के उप-विनियम (2) के अधीन मनोनीत सदस्य यदि किसी कारण से सदस्य नहीं रहता है तो रिक्ती स्थान उसी रीति में भरी जाएगी जैसे कि मूल मनोनयन और इस प्रकार मनोनीत व्यक्ति उस सदस्य की शेष अवधि के लिए सदस्य के रूप में बना रहेगा, जिसके स्थान पर वह मनोनीत किया जाता है।

(5) विनियम 3 के उप-विनियम (2) के अधीन मनोनीत सभी गैर सरकारी सदस्य समिति के कार्य के सम्बंध में की गई यात्रा के संबंध में यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के भुगतान के लिए हकदार होंगे तथा उच्च न्यायालय द्वारा यथा संशोधित ग्रुप "क" के अधिकारियों को यथा लागू नियमों के अनुसार उन्हें भुगतान किया जायेगा।

5. राज्य प्राधिकरण की देखरेख और निगरानी के अलावा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे :-

समिति के कार्य

(1) केन्द्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सूत्रबद्ध और जरूरी कानूनी सहायता, कानूनी सलाह और कानूनी सेवाओं की नीति, कार्यक्रम और स्कीम को रूप देना समिति का दायित्व होगा।

(2) समिति अन्य सभी या कोई भी कृत्य करेगी, अन्यथा

(क) उन व्यक्तियों को कानूनी सहायता, कानूनी सलाह और कानूनी सेवा देगा जो एक्ट या उच्च न्यायालय के मुकदमों के नियमों के तहत कानूनी सेवा के हकदार होंगे।

(ख) उच्च न्यायालय के मुकदमों की लोक अदालतों का आयोजन और संचालन करना, और

(ग) वातचीत, मध्यस्था और सुलह के द्वारा विवादों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित करना।

(घ) ऐसे कार्यों का पालन करना जो राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रदत्त किये जायेंगे।

6. (1) समिति के सचिव को प्रत्येक महीने 1,000 रु० या वह राशि जो अध्यक्ष द्वारा सचिव के दायित्व और कार्यों के संपादन के लिए तय की जायेगी, मानदेय दिया जाएगा।

समिति का सचिव

(2) समिति का सचिव समिति का मुख्य अधिकारी होगा और समिति का-

(क) सम्पूर्ण सम्पत्ति, लेखा, रिकार्ड और निधि का अभिभावक होगा और अध्यक्ष के निरीक्षण और निर्देश के अधीन कार्य करेगा।

(ख) कोष के आय और व्यय में राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्देशानुसार सही एवं उचित लेखे रखे।

(ग) अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त की गई कार्य एवं शक्तियों का निष्पादन करना।

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो कि समिति के कुशल कार्य करने के लिए उचित हों सकते हैं।

समिति के
व्यापार का
संपादन

7. (1) समिति का सचिव, अपनी तय की गई जगह और तिथि को अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से साधारणतया तीन महीने में एक बार बैठक करेगा।

(2) (क) सभी नीतियां और दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों को विचार विमर्श और निर्णय के लिए राज्य प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(ख) कोई विशेष कार्य या मामले जो समिति द्वारा इच्छित अथवा आवश्यक होगा साधारणतया या अन्यथा समिति के समक्ष विचार-विमर्श और निर्णय के लिए रखे जाएंगे।

(ग) समिति की बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी।

(घ) बैठक की कोरम अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों की होगी।

(ङ) समिति की प्रत्येक बैठक के लिए सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने के लिए कम से कम दो सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा यद्यपि सचिव द्वारा अध्यक्ष के निर्देशों से संक्षिप्त नोटिस पर आपातकालीन बैठक बुलाई जा सकती है।

(च) आपातकालीन मामलों के सन्दर्भ में अध्यक्ष, शक्तियों का प्रयोग करते हुए समिति के कार्यों का निष्पादन करेगा। ऐसे मामले सूचना और अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

(3) समिति अपनी कार्यप्रणाली, राज्य प्राधिकरण के निर्देश से अपना सकता है।

(4) समिति की बैठक के सभी मामलों का उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतों से, निर्णय किए जाएंगे और बराबर मत पडने पर, अध्यक्ष या जो व्यक्ति बैठक की अध्यक्षता कर रहा हो, दूसरा या निर्णायक मत डालेगा।

(5) बैठक की कार्यवाहीयों का संक्षिप्त नोट सचिव द्वारा सत्य एवं निष्ठा से तैयार किया जायेगा। बैठक के बाद संक्षिप्त नोट की एक प्रति जल्दी से जल्दी पंजाब, हरियाणा और केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ के राज्य प्राधिकरणों के सदस्य सचिवों को भेजेगा।

8. समिति की निधि, संप्रेश और लेखा

(1) समिति एक निधि स्थापित करेगा जिसको उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति कोष कहा जायेगा और जिसमें जमा किया जायेगा :—

(क) ऐसी अनुपातिक राशि जो माननीय न्यायमूर्ति, पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ के राज्य प्राधिकरणों के कार्यकारी अध्यक्षों की सलाह से स्वीकृत की गई हो।

(ख) वे सभी राशियां जो वाद—व्यय से, अनुदान से, व्यय और खर्च जो कि उन व्यक्तियों से जिनको विधिक सेवा प्रदान की गई हो या विरोधी पक्षों से प्राप्त की गई हों।

(2) ऐसी सभी राशियां जो इस निधि में प्राप्त हुई हों राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाएंगी।

व्याख्या :— इस उप—विनियम में “राष्ट्रीयकृत बैंक” से अभिप्राय है कि नये बैंक से परिभाषित लेन—देन कम्पनी (अधिग्रहण और स्थानान्तरण का उत्तरदायित्व) एक्ट, 1970 और लेन—देन कम्पनी (अधिग्रहण और स्थानान्तरण का उत्तरदायित्व) एक्ट, 1980 है।

(3) संयोगवश खर्च, जैसे कि लघु शुल्क, न्यायालय की फीस, टिकटें और खर्चा और आवश्यक कागजात की कापियां प्राप्त करने आदि के खर्च के उद्देश्य से समिति के सचिव को 2500 रु० अग्रिम स्थाई धनराशि रखने की व्यवस्था होगी।

(4) समिति की कानूनी सेवायें, आवास और कर्मचारियों के सभी खर्च और समिति के और भी आवश्यक खर्च विभिन्न कार्यों को करने के लिए समिति की निधि में से अध्यक्ष की पूर्वानुमोदन से खर्च किये जायेंगे।

(5) समिति की निधि का उपयोग बैठक और संयोगवश अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की या समिति के सचिव की कानूनी सेवाओं की गतिविधियों के सम्बन्ध में यात्रा करने के रूप में की जायेगी। यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता अध्यक्ष, पदेन सदस्य और सचिव को भी वही दिया जायेगा जोकि वे अपने कार्यालय में लेने के पात्र हैं।

(6) समिति का सचिव अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार बैंक खाते का संचालन करेगा।

(7) समिति नियमित रूप से आय के स्रोतों का, आय—व्यय का विवरण तैयार करेगी और वार्षिक रिपोर्ट, पंजाब, हरियाणा और केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ के राज्य प्राधिकरणों को भेजेगी। एक्ट की धारा 18 के अधीन इसका लेखा परीक्षण किया जायेगा।

9. कानूनी सेवाओं के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था

(1) पंजाब, हरियाणा और केन्द्र शासित प्रदेश के राज्यों का एक उच्च न्यायालय होने के कारण पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालय की एक ही उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति गठित की जायेगी।

(2) हरियाणा से सम्बन्धित विधिक सेवा के लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नियम 1996 के 19 से 27 नियमों का अनुसरण करना होगा।

10. विविध

राज्य सरकार द्वारा की गई सभी अधिसूचनायें, बनाये गये विनियम तथा आदेश वैध होंगे जब तक कि वे अधिनियम तथा इन नियमों के साथ असंगत न हों।

11. इनटरप्रिटेशन

यदि इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठता है तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

सुरेन्द्र सिंह

सदस्य सचिव,

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

आदेशानुसार

के०जी० वर्मा

वित्तायुक्त एवं सचिव,

हरियाणा सरकार,

न्याय एवं प्रशासन विभाग. चण्डीगढ़।

